रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 1974/भाद्र 22, 1896

No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 1974/BHADRA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Secretariat

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th September 1974

No. 31-ETC(PN)/74.—Following the issue of new development-oriented design coins of the denomination of Rs. 50/-, Rs. 10/- and Paise 10 to mark the year 1974 as World Population Year by the United Nations, it has been decided that export of these coins would be regulated as follows:—

1. That proof coins (or proof-set) of 1974 will not be permitted to be exported for commercial purposes by anyone other than India Government Mint, Bombay.
2. That the Rs. 50/- and Rs. 10/- coins in uncirculated quality and 10 Paise coins (circulation coin) with development-oriented design will be allowed to be exported subject to a minimum price of Rs. 60/-, Rs. 15/- and 25 Paise respectively, per coin FOB.
3. That no licence will be necessary for gifts (i.e. non-commercial purposes) upto a total of 2 coins each of the said Rs. 50/-, Rs. 10/- and 10 Paise.
4. That passengers going abroad may take with them for purposes of presentation 2 pieces each of the said Rs. 50/- and Rs. 10/- coins.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1974

सं० 31-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1974 को संसार की जनसंख्या वर्ष के रूप में व्यक्त करने हेतु 50 रुपये, 10 रुपये और 10 पैसे के मूल्यवर्ग के नए विकास-अभिमुख डिजाइन के सिक्कों को जारी करने के अनुसरण में, यह निश्चय किया गया है कि इन सिक्कों के किए जाने वाले निर्यात को इस प्रकार नियमित किया जाएगा :—

1. कि 1974 के प्रूफ सिक्कों (अथवा प्रूफ सेट) के लिए भारत सरकार मिनट, बम्बई के अतिरिक्त किसी अन्य को वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2. कि विकास–अभिमुख डिजाइन के साथ अप्रचलित क्वालिटी में 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों और 10 पैसों के सिक्कों (प्रचलित सिक्के) के निर्यात की स्वीकृति क्रमशः 60 रु०, 15 रुपए और 25 पैसे जहाज पर निशुल्क मूल्य के प्रति सिक्के की कम से कम कीमत के अधीन दी जाएगी ।

3. कि 50 रुपये 10 रुपये और 10 पैसे के प्रत्येक कुल 2 सिक्कों तक के उपहार के लिए (अर्थात् गैर-वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए) किसी किस्म के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी ।

4. कि विदेश जाने वाले यात्री उपहार देने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक 50 रुपये और 10 रुपये के 2 सिक्के अपने साथ ले जा सकते हैं ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974